भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4517
20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स निधि को सुव्यवस्थित करना

4517. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई है तथा कितने कार्य संस्वीकृत, पूरे किए गए हैं और कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं;

(ख) उन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां उक्त निधि का उपयोग 60 प्रतिशत से कम रहा है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा जिलों को एमपीलैड्स निधि जारी करने में विलंब हुआ है और यदि हां, तो ऐसे विलंब की आवृत्ति और कारण क्या हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाले औसत समय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा निधि जारी करने के तंत्र को सुव्यवस्थित करने, उपयोग दरों में सुधार करने और जिला स्तर पर बार-बार होने वाली कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की दक्षता, पारदर्शिता अथवा प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा/लेखापरीक्षा/अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) विगत पांच वर्षों में प्रति वर्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

संशोधित निधि प्रवाह के कार्यान्वयन के बाद राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार/स्वीकृत, पूर्ण और लंबित कार्यों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) ई-साक्षी पोर्टल के अनुसार, उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विवरण, जहां उपयोग (अर्थात कुल पात्रता में से अनुशंसित राशि) 60% से कम रहा है, अनुबंध-III में संलग्न है। अप्रैल 2023 से, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक पात्रता प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में एक ही किस्त में माननीय सांसदों के ई-साक्षी खाते में अधिकृत की गई है। माननीय सांसद वर्ष के किसी भी समय ई-साक्षी पोर्टल

के माध्यम से ऑनलाइन कार्यों की संस्तुति करके उन्हें आवंटित निधि का उपयोग कर सकते हैं, सिवाय उस अवधि के जब विभिन्न केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पोर्टल अवरुद्ध हो जाता है।

(ग) संसद सदस्यों को धनराशि जारी करने में कोई विलंब नहीं होता। एमपीलैड योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रणाली के अनुसार, संसद सदस्यों के लिए सभी देय प्राधिकार प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में या सदस्य के कार्यकाल के प्रारंभ में, जैसा भी लागू हो, एक ही किस्त में जारी किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यवार और वर्षवार प्रस्तुत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए लिया गया औसत समय (अर्थात दिनों की संख्या) अनुबंध-IV में दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें वे दिन भी शामिल हैं जब विभिन्न केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पोर्टल को कार्यकलापों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था नई निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन से पहले कार्य-वार स्थिति मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी गई थी।

(ङ) एमपीलैड योजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया ई-साक्षी आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है, जिससे माननीय सांसदों की संस्तुतियों का निर्बाध एकीकरण, जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादन संभव होता है। इसके परिणामस्वरूप एक सुव्यवस्थित और कुशल कार्यप्रवाह संभव हुआ है, जिससे कार्य प्रगति की वास्तविक समय पर जानकारी मिलती है और इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों के साथ तिमाही और मासिक बैठकें आयोजित करता है। वस्तुनिष्ठ निगरानी के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से लंबित रिपोर्ट साझा की जाती है, जिसमें उन कार्यों को उजागर किया जाता है जो 45 दिनों से अधिक समय से स्वीकृत नहीं हैं, जो कार्य स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर पूरे नहीं हुए हैं, तथा जिन कार्यों के लिए स्वीकृति के तीन महीने के भीतर कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(च) मंत्रालय समय-समय पर एमपीलैड्स कार्यों का तृतीय पक्ष द्वारा भौतिक मूल्यांकन कराता है, ताकि योजना की दक्षता और प्रभाव का आकलन करने के लिए समीक्षा/लेखापरीक्षा/अध्ययन किया जा सके। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक, योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति तथा सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित केस अध्ययन शामिल हैं। इन भौतिक मूल्यांकनों की रिपोर्टें मंत्रालय को देश भर में लगातार बदलते और विकसित होते परिदृश्य के अनुसार एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से पुनः तैयार करने और संशोधित करने में मदद करती हैं। वर्ष 2021 में किए गए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष, जिन्हें एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 में शामिल किया गया है और योजना के लिए नए तकनीकी समाधान (ई-साक्षी पोर्टल) का निर्माण, अनुबंध V में दिया गया है। इस वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

*****

अनुबंध ।

दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 के उत्तर के भाग (क-प्रथम भाग) में संदर्भित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	आवंटित/बजट अनुमान/संशोधित अनुमान (बीई/आरई)	माननीय सांसदों को जारी राशि/ प्राधिकार	उपयोग / वास्तविक व्यय	टिप्पणी
2020-21	0#	1108.15	2041.61	# कोविड के कारण कोई आवंटन नही किया गया क्योंकि 09.11.2021 तक एमपीलैड्स का संचालन नही किया गया था। माननीय सांसदों को पिछले वर्षों की लंबित किस्तें जारी की गईं उपयोगिता इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों की शेष निधि तथा इस वित्त वर्ष के दौरान की गई उपयोगिता शामिल है ।
2021-22	20.1#	1732.12	1439.38	दिनांक 09.11.2021 तक कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी। शेष वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ₹2.0 करोड़ प्रति सांसद की दर से आवंटन/बजट जारी किया गया।
2022-23	3965.00	2566.96	2387.14	
2023-24	3958.50	6817.47	1200.57	जारी किए गए प्राधिकार की संख्या अधिक है, क्योंकि कई माननीय सांसदों को पिछले वर्षों की किस्तें लंबित थीं, जो इस वित्त वर्ष के दौरान जारी की गईं।
2024-25	3955.00	4093.00	2601.60	

अनुबंध II

दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 के भाग (क-दूसरा भाग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से संशोधित निधि प्रवाह तंत्र के कार्यान्वयन के बाद से			
राज्य	**स्वीकृत कार्यों की संख्या**	**पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या**	**कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुआ है**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	44	6	8
आंध्र प्रदेश	5904	3257	255
अरुणाचल प्रदेश	444	392	3
असम	2428	308	542
बिहार	8616	7001	375
चंडीगढ़	48	22	2
छत्तीसगढ	2970	1525	124
दिल्ली	540	354	265
गोवा	164	53	105
गुजरात	10502	5632	1076
हरियाणा	2435	866	195
हिमाचल प्रदेश	2791	503	217
जम्मू और कश्मीर	1052	499	48
झारखंड	4443	1576	239
कर्नाटक	6018	2584	2255
केरल	4002	2570	1605
लद्दाख	0	0	0
लक्षद्वीप	44	13	1
मध्य प्रदेश	10459	4170	904
महाराष्ट्र	5744	4300	3005
मणिपुर	167	49	2
मेघालय	781	388	95
मिजोरम	303	65	1
नागालैंड	63	57	0
ओडिशा	7918	2891	946
पुदुचेरी	101	68	47
पंजाब	4703	2771	20
राजस्थान	5669	1966	175
सिक्किम	203	184	1
तमिलनाडु	6753	5348	973
तेलंगाना	5716	3752	1529
दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव	0	0	0
त्रिपुरा	233	119	16
उत्तर प्रदेश	26058	11109	675
उत्तराखंड	2879	1312	189
पश्चिम बंगाल	9143	4036	945

अनुबंध III

दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (उपयोगिता* 60% से कम)	कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1
आंध्र प्रदेश	20	25
अरुणाचल प्रदेश	2	2
असम	9	14
बिहार	22	40
चंडीगढ़	1	1
छत्तीसगढ	3	11
दिल्ली	7	7
गोवा	1	2
गुजरात	13	26
हरियाणा	6	10
हिमाचल प्रदेश	2	4
जम्मू और कश्मीर	5	5
झारखंड	11	14
कर्नाटक	23	28
केरल	8	20
लद्दाख	1	1
लक्षद्वीप	1	1
मध्य प्रदेश	18	29
महाराष्ट्र	41	48
मणिपुर	1	2
मेघालय	1	2
ओडिशा	19	21
पंजाब	6	13
राजस्थान	19	25
सिक्किम	1	1
तमिलनाडु	8	39
तेलंगाना	9	17
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	2	2
उत्तर प्रदेश	48	80

उत्तराखंड	4	5
पश्चिम बंगाल	18	42

* उपयोगिता से अभिप्राय प्रत्येक माननीय सांसद को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित राशि में से अनुशंसित राशि।

टिप्पणी: उपयोगिता मुख्यतः माननीय सांसदों द्वारा की गई संस्तुतियों पर निर्भर करता है, तथा विभिन्न केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण भी प्रभावित होता है।

अनुबंध IV

दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

संस्वीकृति के लिए लिया गया औसत समय (दिन)			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (चालू वित्त वर्ष)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	223.8	32.7	-
आंध्र प्रदेश	35.8	55.8	29.9
अरुणाचल प्रदेश	105.8	92.9	37.5
असम	151.1	134.7	44.9
बिहार	93.6	87.5	36.9
चंडीगढ़	102.1	38.5	33.5
छत्तीसगढ	84.3	68.4	39.0
दिल्ली	477.3	68.1	24.0
गोवा	221.1	152.6	24.0
कुल योग	127.9	85.5	37.7
गुजरात	175.5	102.7	50.3
हरियाणा	95.4	83.0	41.3
हिमाचल प्रदेश	101.6	78.3	40.3
जम्मू और कश्मीर	100.7	74.2	50.9
झारखंड	67.0	55.5	18.3
कर्नाटक	203.4	129.2	58.3
केरल	232.9	113.3	29.2
लद्दाख	-	-	-
लक्षद्वीप	333.0		7.0
मध्य प्रदेश	87.1	72.6	44.0
महाराष्ट्र	342.7	98.4	31.8

मणिपुर	24.0	33.6	32.2
मेघालय	159.0	119.5	44.7
मिजोरम	170.4	90.9	-
नागालैंड	53.7	77.9	45.1
ओडिशा	92.9	80.6	45.5
पुदुचेरी	108.7	152.1	-
पंजाब	41.3	44.9	33.6
राजस्थान	168.2	77.3	51.3
सिक्किम	175.1	81.3	66.9
तमिलनाडु	134.5	93.7	33.4
तेलंगाना	169.4	83.3	35.2
दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव	-	-	-
त्रिपुरा	94.1	105.4	-
उत्तर प्रदेश	75.0	85.8	38.8
उत्तराखंड	113.0	77.2	36.0
पश्चिम बंगाल	180.8	96.9	40.7

नोट: रिक्त स्थान यह दर्शाता है कि उस वित्त वर्ष के दौरान कोई कार्य अनुशंसित या स्वीकृत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यहां दिनों की संख्या में वे दिन भी शामिल हैं जब पोर्टल आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण कार्यकलापों के लिए बंद था, जैसा भी लागू हो।

अनुबंध V

दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4517 भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

i. जिला प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण को नियमित करें और फीडबैक में उपयोगकर्ता (डीए) को शामिल करें। (यूए) एजेंसियों

ii. एमपीलैड्स कार्यों पर पूर्ण परियोजना विवरण के साथ अधिदेश पट्टिकाएंसंकेत विवरण/; दस्तावेजीकरण में पट्टिका की तस्वीरें शामिल करें।

iii. आवधिक निरीक्षण और क्षेत्रविशिष्ट रखरखाव धाराओं सहित रखरखाव प्रोटोकॉल में - सुधार करें।

iv. फंड पार्किंग को रोकने के लिए पीएफएमएस और ईएटी मॉड्यूल के उपयोग सहित फंड प्रवाह को अनुकूलित करें।

v. एमपीआर प्रस्तुतीकरण को सरल बनाएं तथा तकनीकी समाधान के माध्यम से कार्य जीवनचक्र ट्रैकिंग को एकीकृत करें।

vi. कार्यों की स्वीकृतिसीमा स्पष्ट करें-अस्वीकृति के लिए भूमिकाएं और समय/, विशेष रूप से विभिन्न जिलों में।

vii. डिजिटल अनुशंसा रजिस्टर और स्वचालित अधिसूचना प्रणाली लागू करना।

viii. स्थायित्व के लिए न्यूनतम परियोजना सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया जाएगा।

ix. परिसंपत्ति पूर्ण करने की समयसीमा लागू करें देरी होने पर ब्याज या जुर्माना लगाएं ।-

x. कार्य प्रारंभ करने से पहले उपयोगकर्ता एजेंसी की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।

xi. छोड़े गएनिलंबित कार्यों पर नज़र रखें/, रिकॉर्ड बनाए रखें और वसूली शुरू करें।

xii. एक परिभाषित टेम्पलेट के साथ जिलों में परिसंपत्ति और कार्य रजिस्टरों को मानकीकृत करें।

xiii. आईए द्वारा सीधे पोर्टल पर फोटो और डेटा अपलोड सक्षम करें उदाहर)ण के लिए, ई-।(साक्षी

xiv. समय सीमा के भीतर कार्य समापन रिपोर्ट और-उपयोगिता प्रणाम पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

xv. प्रत्येक जिले में परियोजनाओं की एक समान सूची विकसित करना।

xvi. डीए और आईए के बीच नियमित समीक्षा बैठकें त/मासिक)िमाहीआयोजित करें। (

xvii. 10% कार्यों का निरीक्षण अनिवार्य करें तथा निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज करें।

xviii. दृश्य कार्य सूचना के साथ सुविधा केन्द्रों की स्थापना और संचालन करना।

xix. प्रशासनिक व्यय मानदंडों को संशोधित करें, तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति, लैपटॉप आदि की नियुक्ति के लिए उपयोग की अनुमति दें।

xx. डीए, आईए और सांसदों सहित सभी हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करना।

xxi. सुझाव पेटियों और नागरिक शिकायत सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करें।

xxii. अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति निधि आवंटन का अनुपालन सुनिश्चित करें/, तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रतिवर्ष सूचित करें।

xxiii. एक केंद्रीकृत डेटाबेस ट्रस्टों के लिए निधियों /के साथ सोसाइटियों (दर्पन के माध्यम से) और परिसंपत्तियों पर नज़र रखें।

xxiv. आपदा पुनर्वास कार्रवाई को बढ़ाना, भूमिकाएं परिभाषित करना, तथा परिचालनात्मक एसओपी बनाना।

xxv. उन्नत आईईसी कार्यकलापों और सहभागी योजना के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता बढ़ाएं।

xxvi. गुम या दुर्गम परिसंपत्तियों की जांच करें, तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह (आईए) ठहराएं।

xxvii. बेहतर निधि प्रबंधन के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मॉडल लागू करें। (टीएसए)

xxviii. समर्पित निगरानी दल स्थापित करें तथा राज्योंके लिए डैशबोर्ड शामिल .डी.एन.एस/ करें।

****